186

30 AUG 2019

GENERAL STUDIES (Module – 8)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)–M–GS18

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Girdhari lal Meena **Mobile Number:** _____

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:** AWAKE-19/E017

Center & Date: 30/08/2019 Delhi **UPSC Roll No.** *(If allotted)*: 0856006

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

खंड - क/ SECTION - A

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं? यह विधेयक देश की पारदर्शी शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? (150 शब्द) 10

What are the key features of the Right to Information (Amendment) Bill 2019? How does the Bill affect the transparency regime in the country? (150 words) 10

गोपनीयता के अंधकार से पारदर्शी प्रणाली की तरफ आने के लिए 2009 में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया।

इस अधिनियम में निरंतर सुधार किये गये। इसी तरह 2019 में इस अधिनियम में निम्न सुधार किये गये-

① मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा जो वर्तमान में 5 वर्ष है।

② आयुक्तों के वेतन व भत्तों को भी सरकार द्वारा नियंत्रित व निर्धारित किया जायेगा।

③ माना गया कि इन सुधारों के आधार पर संवैधानिक व वैधानिक संस्थाओं में भेद किया जा सकेगा जो संवैधानिक दृष्टि से उचित भी है।

दोष CD इस संशोधन से सूचना आयुक्तों पर

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कार्यपालिका का नियंत्रण बढ़ेगा।

(2) वेतन भत्तों में परिवर्तन के कारण उनकी स्वतंत्र कार्यप्रणाली को बाधित किया जा सकेगा।

(3) इस कारण जनता का प्रशासन से जुड़ाव नहीं हो पायेगा तथा अपारदर्शिता के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्षतः सूचना आयुक्तों की स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्यप्रणाली सूचना अधिकार के लिए आवश्यक है अतः इससे सम्बन्धित चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। सामान्यतः संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है? (150 शब्द) 10

Describe the procedure of amendment of the Constitution of India under Article 368. Why this amendment procedure has been often criticized? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान नम्यता व अनम्यता के गुणों से युक्त है तथा संविधान संशोधन का प्रावधान नम्यता का समर्थक है।

अनु. 368

विशेष बहुमत + आधे राज्यों

विशेष बहुमत

साधारण बहुमत

① भारतीय संविधान में कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। इसमें राज्य निर्माण संबंधी प्रक्रिया शामिल है।

② विशेष बहुमत के माध्यम से सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 भाग का समर्थन आवश्यक होता है। इसके माध्यम से मूल अधिकारों को संशोधित किया जाता है।

③ संघवाद आधारित 5वीं व 6वीं अनुसूची, न्यायपालिका व राज्यसभा संबंधी प्रावधानों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

साथ - साथ आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

आलोचना

① अधिकांश प्रावधानों को सामान्य बहुमत से संशोधित किया जा सकता है

② संविधान संशोधन प्रणाली केन्द्र की तरफ अधिक झुकाव प्रदर्शित करती है

③ राज्यों की सहमति के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है

④ राज्यों द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

निष्कर्षत: संविधान की स्थिरता व संविधान संशोधन की प्रणाली की बाधाओं का समाधान आवश्यक है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

3. 'जनहित का प्रत्येक विषय जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है'। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

'Every matter of public interest cannot be a matter of public interest litigation'. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

जनहित याचिका के बढ़ते प्रयोग के कारण न्यायपालिका पर दबाव बढ़ रहा है तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।

जनहित याचिका का उदय अमेरिका में हुआ तथा यह न्याय को सुलभ करने के लिए कमजोर वर्गों को सक्षम बनाती है।

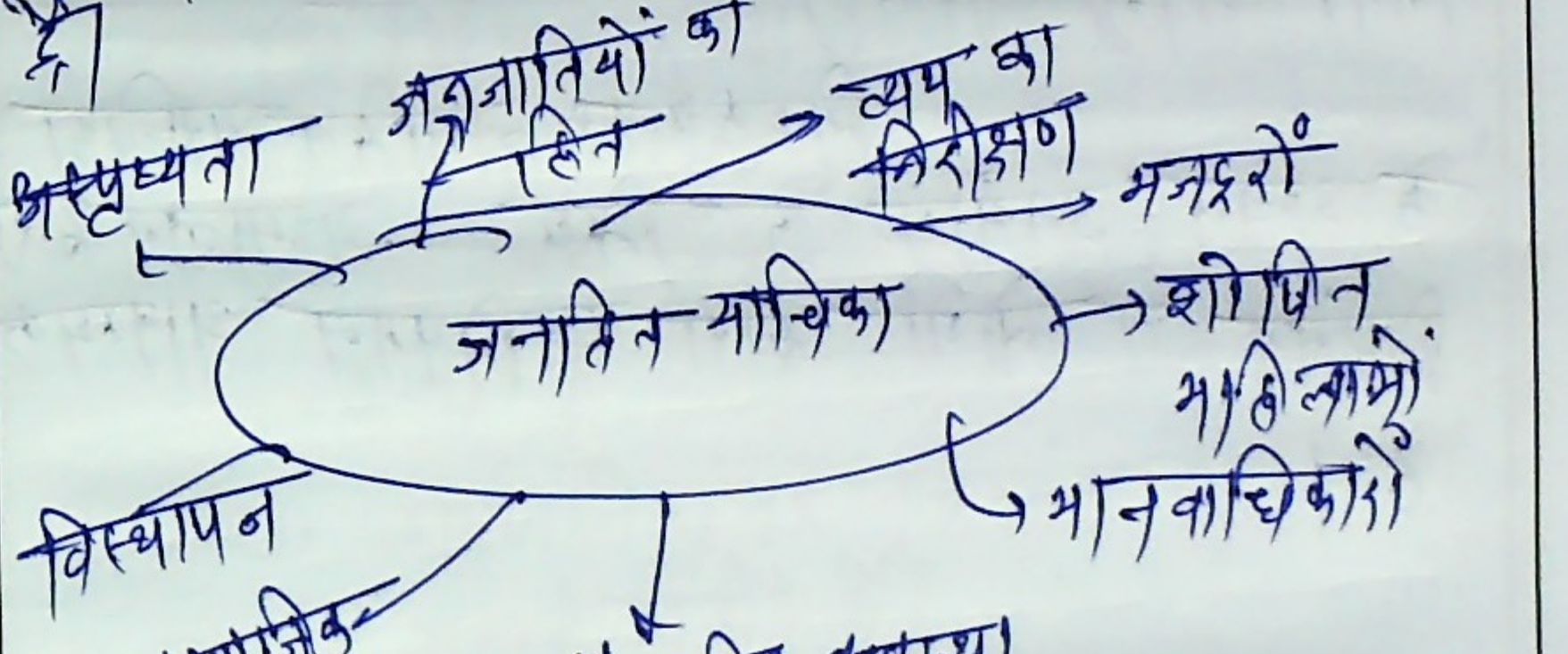

वर्तमान में जनहित याचिका का प्रयोग बढ़ गया है। यह कमजोर वर्गों को न्याय उपलब्ध कराने का साधन था लेकिन इसे प्रसिद्धि प्राप्त करने का साधन बनाया गया है। जनहित याचिका का दुरुपयोग भी बढ़ गया है तथा इसका वास्तविक नाम

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सीमित हो गया है

उपाय ① जनहित याचिका के कार्यक्षेत्र को सीमित व लाक्षित करना।

② प्रसिद्धि के लिए जनहित याचिका का प्रयोग न किया जाये।

③ जनहित याचिका के गलत प्रयोग पर दण्ड का प्रावधान।

④ न्याय की व्यावहारिक प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः जनहित याचिका के उचित उपयोग के लिए न्यायालय द्वारा नियंत्रण व लोगों द्वारा स्वनियमन आवश्यक है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

4. भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कई सीमाओं से ग्रस्त है। विवेचना कीजिये।

(150 शब्द) 10

Parliamentary control over executive in India is riddled with several limitations. Discuss.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

सरकार की संसदीय व्यवस्था के तहत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण की बात की गई है।

साधन ① संसद की वित्त समितियाँ

② निंदा प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव

③ विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों के माध्यम से नियंत्रण

④ बजट पर चर्चा व विभिन्न कटौती प्रस्ताव।

बाधाएं ① कार्यपालिका पर नियंत्रण के वर्तमान साधन प्रभावी नहीं है

② व्यक्ति आधारित शासन के कारण व्यवस्थापिका कार्यपालिका से निर्धारित हो रही है

③ संसद की कार्यप्रणाली में कमी व विभिन्न बाधाओं के कारण संसदीय नियंत्रण की यह प्रक्रिया बाधित हो रही है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(5) संसदीय वित्त समितियों का राजनीतिकरण व कार्यप्रणाली में स्वतंत्रता व विशेषज्ञता का अभाव है।

(6) वर्तमान में अध्यादेशों का बढ़ता प्रयोग संसदीय नियंत्रण को बाधित करता है।

(7) संसद में कई विधेयकों पर चर्चा नहीं होती तथा गिलोटीन का प्रयोग किया जाता है।

निष्कर्षतः संसदीय नियंत्रण लोकतंत्र की स्थिरता व निरंकुशता पर नियंत्रण का माध्यम है अतः प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच विभेदन कीजिये। सरकार की नीतियों को प्रभावित करने हेतु दवाब समूहों द्वारा कौन-से प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं? (150 शब्द) 10

Distinguish between political parties and the pressure groups. What are some of the prominent ways in which pressure groups try to influence the policies of the government? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

लोकतंत्र में उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए दवाब समूह, राजनीतिक दल व विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की प्रभावी भूमिका होती है।

राजनीतिक दल	दबाव समूह
(1) शासन प्रणाली में भाग लेते है तथा चुनाव लड़ते है।	(1) शासन प्रणाली व प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते तथा चुनाव नहीं लड़ते
(2) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकरण	(2) सोसायटी अधिनियम व अन्य अधिनियों में पंजीकरण
(3) कार्य करने की लोकतांत्रिक प्रणाली	(3) लोकतांत्रिक + अलोकतांत्रिक प्रणाली
(4) शासन प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य होता है।	(4) अपने हितों की पूर्ति प्रमुख उद्देश्य होता है।
(5) राजनीतिक दलों में चुनाव आयोग व अन्य संस्थाओं का नियंत्रण होता है	(5) इन संस्थानों के प्रत्यक्ष नियंत्रण का अभाव होता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य अपने हितों में नीति निर्माण तथा अपने हितों को पूरा करना होता है

साधन

1. लॉबिंग के माध्यम से अपने पक्ष में नीति का निर्माण करवाया जाता है
2. अपने पक्ष में नीति निर्माण के लिए रिश्वत व तोड़-फोड़ जैसे अलोकतांत्रिक तरीकों का भी सहारा लिया जाता है।
3. दबाव समूह शासन प्रणाली को बाहर से प्रभावित करते हैं।
4. अपनी विचारधारा के लोगों को प्रशासन व राजनीति में शामिल करना।

निष्कर्षतः दबाव समूहों को सकारात्मक नियंत्रण बनाने के लिए इनकी कार्यप्रणाली पर उचित नियंत्रण आवश्यक है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. जहाँ एक ओर सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 भारत में सरोगेसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है, वहीं दूसरी ओर इसकी कमियों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चर्चा कीजिये।
(150 शब्द) 10

While the Surrogacy (Regulation) Bill 2019 does address various issues relating to surrogacy in India, its drawbacks can not be overlooked. Discuss.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा व सेरोगेसी से सम्बन्धित मुद्दों के समाधान के लिए सेरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 लाया गया।

प्रावधान

① व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंध किया गया तथा परोपकारी सरोगेसी को जारी रखा गया।

② सरोगेसी क्लिनिक का पंजीकरण आवश्यक है

③ राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर समितियों का निर्माण किया जायेगा। पंजीकरण की ऑनलाइन प्रणाली का समर्थन किया गया।

④ परोपकारी सेरोगेसी के लिए भी प्रतिबंध आरोपित किये गये।

⑤ सेरोगेसी की प्रक्रिया के पश्चात पालन-पोषण व स्वास्थ्य देखभाल के खर्च की बात की गई।

⑥ बच्चे के अधिकार सम्बन्धित दावों के निपटान की प्रणाली की व्यवस्था भी की गई।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पक्ष	विभिन्न मुद्दों
① महिला अधिकारों का संरक्षण होगा।	① कई महिलाओं की आर्थिक दशा पर प्रभाव क्योंकि वे इस पर निर्भर थी।
② क्लिनिकों पर नियंत्रण किया जा सकेगा।	~~② नियंत्रण के बजाय~~
③ नियंत्रण की उचित प्रणाली का प्रावधान	② बंद करने के बजाय नियंत्रित किया जा सकता था।
④ विकलांगता या अन्य दोष की स्थिति में न्यायिक व्यवस्था।	③ परोपकारी सरोगेसी व परिवार संरचना में इसकी सहमति
	⑤ भूमिगत क्लिनिक जारी रह सकते हैं।

निष्कर्षत: महिला अधिकार संरक्षण व उचित प्रणाली के लिए इससे सम्बन्धित मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

7. यद्यपि स्थानीय चुनाव लड़ने के लिये न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इस कदम के साथ मौजूदा चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये।
(150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

While mandating minimum education criteria for contesting local elections is a progressive move, the associated challenges with this move can not be ignored in the current scenario. Comment.
(150 words) 10

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजबाला वाद में हरियाणा के न्यूनतम शिक्षा संबंधी प्रावधान को वैधता प्रदान की गई जबकि राजस्थान द्वारा न्यूनतम शिक्षा प्रावधान को समाप्त कर दिया है।

प्रगतिशील कदम

① शिक्षित प्रतिनिधि ग्रामपालिका से नियंत्रित होने के बजाय वित्तीय व राजनीतिक विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करेंगे।

② शिक्षित प्रतिनिधि संसाधनों का उपयोग करेंगे तथा सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन होगा।

③ शिक्षित महिला प्रतिनिधि आगे रोल मॉडल का कार्य करेगी तथा राजनीतिक विकेन्द्रीकरण को सफल बनायेगी।

④ इन प्रावधानों के माध्यम से सबके लिए आवास, स्वच्छ सुरक्षा कार्यक्रम व सबके लिए शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सम्भव होगा।

चुनौतियाँ ① आवश्यक नहीं की शिक्षित व्यक्ति नैतिक व्यक्ति भी हो।

② महिला, SC व ST, जैसे विभिन्न वर्गों को चुनाव प्रणाली से बाहर किया जा सकता है

③ राजस्थान में फर्जी प्रमाण पत्रों की बढ़ती संख्या देखी गई।

④ न्यूनतम शिक्षा प्रावधान के कारण गांधीजी के सर्वोदय व भीमराव अम्बेडकर के विचारों का भी सम्मान नहीं होता।

निष्कर्षतः न्यूनतम शिक्षा प्रावधान सुनिश्चित करने से पूर्व विभिन्न वर्गों की शिक्षा व जागरूकता संबंधी उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

8. कठोर दंड देने के आडंबर में हमें पोक्सो (POCSO) अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं से ध्यान नहीं भटकाना चाहिये। POCSO (संशोधन) विधेयक 2019 के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

The rhetoric over severe punishments should not deflect our attention from the problems related to implementation of POCSO Act so far. Discuss in the context of POCSO (Amendment) Bill 2019. (150 words) 10

पॉक्सो अधिनियम को लगातार कठोर बनाया जा रहा है तथा इस कारण इनसे सम्बन्धित विभिन्न मुद्दे सामने आ रहे हैं।

① वर्तमान संशोधन के माध्यम से इसे लिंग निरपेक्ष बनाया गया।
② सजा का प्रावधान को फाँसी तक बढ़ाया गया।
③ 12 वर्ष से कम उम्र में नाबालिग उत्पीड़न के लिए फाँसी का प्रावधान किया गया।
④ 16 वर्ष से ऊपर के किशोर को भी वयस्क माना गया।
⑤ विशेष न्यायालयों के माध्यम से सजा को तीव्र करने पर बल दिया गया।

मुद्दे ① फांसी की सजा दर की तुलना में अधिक है।
② प्रस्तावित विधेयक सुधारात्मक दृष्टिकोण के बजाय प्रतिशोधात्मक अधिक प्रतीत होता है।
③ पॉक्सो अधिनियम में विशेष न्यायालयों

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

द्वारा समय पर न्याय प्रदान नहीं किया जा रहा।

④ 90%. वाल यौन उत्पीड़क जानकार होते हैं। अतः ऐसे मामलों में फाँसी की सजा युक्तिसंगत नहीं है।

⑤ वर्तमान में पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अभाव है तथा रिपोर्टिंग नहीं की जाती।

निष्कर्षतः यौन शोषण के प्रति जीरो टोलरेंस के साथ-साथ वर्तमान कानून से सम्बन्धित मुद्दों का समाधान आवश्यक है जो अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायक हो।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

9. हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओ.आई.सी.) की बैठक में भारत की भागीदारी को 'ऐतिहासिक' क्यों कहा गया है? भारत के लिये इसका क्या भू-राजनीतिक महत्त्व है? (150 शब्द) 10

Why the recent participation of India in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) meeting has been termed 'historic'? What is its geopolitical significance for India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के पश्चात सबसे बड़ा संगठन है जो मुस्लिम देशों के हितों का संरक्षण करता है।

यह विभिन्न मंचों पर मुस्लिम देशों के हितों के संरक्षण के साथ-साथ समस्याओं का समाधान करता है

भारत की भागीदारी

① यह भारत की कूटनीतिक विजय है क्योंकि पहले पाकिस्तान के कारण भारत को नहीं बुलाया जाता था।

② यह कश्मीर पर विभिन्न वक्तव्य जारी करता है। अतः अब भारतीय हितों का भी ध्यान रखा जा सकेगा।

③ ओ. आई. सी. में भारत की भागीदारी भारतीय सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का पर्याय है।

④ इसके माध्यम से सऊदी अरब, अफ्रीका व बांग्लादेश के साथ सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

भू राजनीतिक महत्व

① पश्चिमी एशिया में भारत की बढ़ती पहुँच तथा लुक वेस्ट नीति की सफलता।

② कश्मीर के मुद्दे पर इन देशों का परिवर्तित दृष्टिकोण।

③ पाकिस्तान को अलग-थलग करने की नीति की सफलता।

④ सीमा पार आतंकवाद व उग्रवाद को नियंत्रित पाने में सहायता मिलेगी।

⑤ हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का बढ़ता प्रभाव।

निष्कर्षतः ओ.आई.सी. में भारत की भागीदारी भारत की क्षेत्रीय अखण्डता व भारत की कूटनीतिक सफलता की दृष्टि से ऐतिहासिक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

10. हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक समर्पित भारत-प्रशांत विभाग की स्थापना की है। इस संदर्भ में भारत के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Recently the Ministry of External Affairs has setup a dedicated Indo-Pacific division. In this context examine the geo-political significance of the Indo-Pacific region for India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

वैश्विक शक्ति के लिए बढ़ते प्रयास एवं अमेरिका व जापान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भारत-प्रशांत विभाग की स्थापना की गई।

लाभ

① क्वाड एक्ट ईस्ट नीति का क्रियान्वयन तथा आसियान के साथ सहयोग में वृद्धि होगी।

② चीन की चुनौती का समाधान।

③ जापान, आस्ट्रेलिया व अमेरिका के साथ बढ़ता सहयोग।

④ सागर, ओजेक्ट मौसम के साथ-साथ एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कोरिडोर का भी क्रियान्वयन होगा।

भू राजनीतिक महत्व

① यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

② मलक्का संधि विश्व व्यापार का केंद्र है अतः यहाँ सहयोग आवश्यक है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

③ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स व बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव का प्रभावी विकल्प उपलब्ध करवाना।

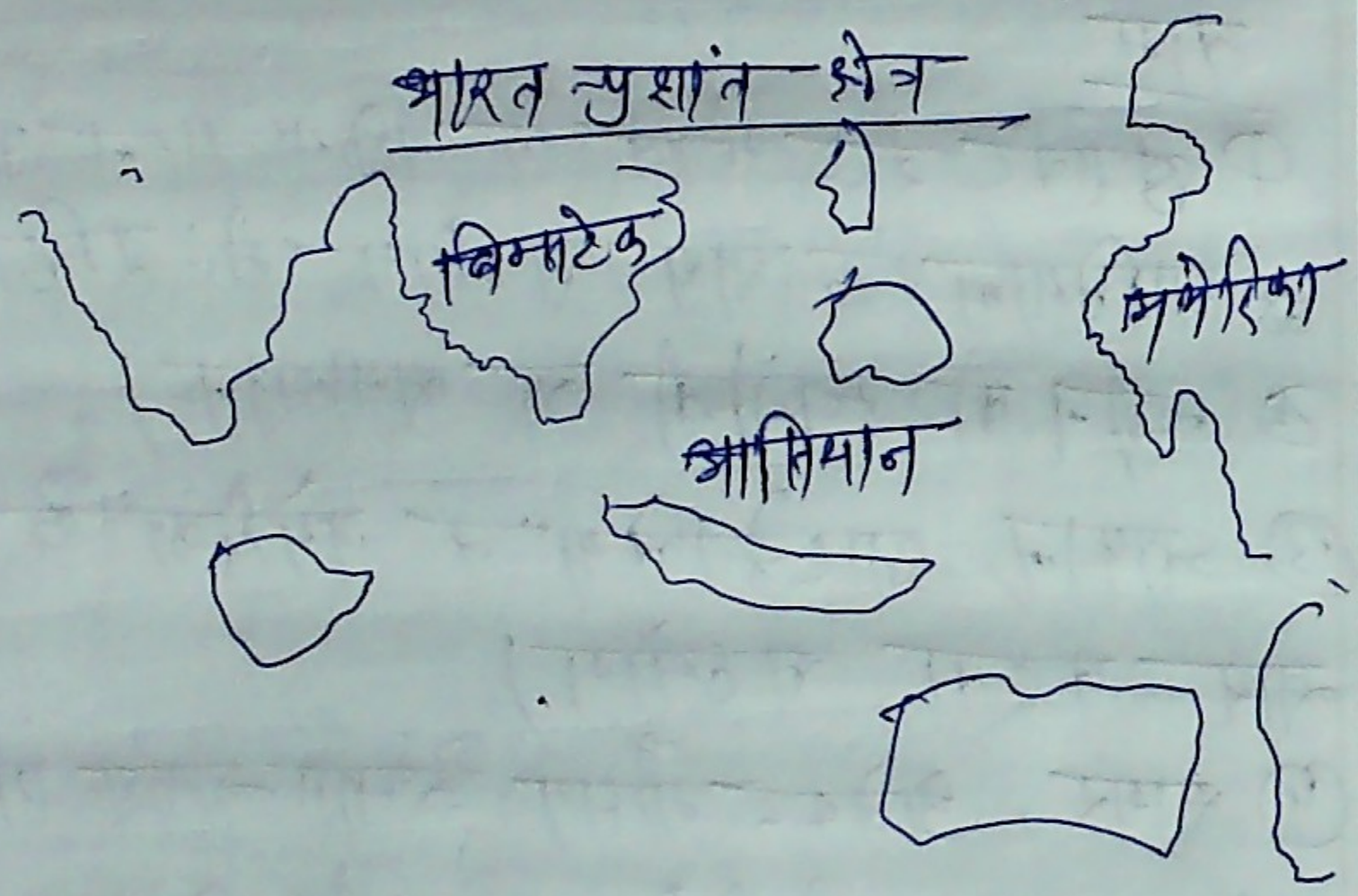

④ समुद्री सुरक्षा व ब्लू इकोनमी को बढ़ावा।

⑤ आसियान व बिम्सटेक के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया को वांछित पहुँच।

निष्कर्षतः समर्पित विभाग के माध्यम से भारत क्षेत्रीय व वैश्विक शक्ति, हितों की सुरक्षा के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा कर सकेगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

11. भारत में हाल ही में कौन-से चुनाव सुधार लागू किये गए हैं? आपके अनुसार चुनाव सुधार संबंधी किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना अभी शेष है? (250 शब्द) 15

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का मूल आधार है अतः चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता व स्वतंत्रता की आवश्यकता है।

वर्तमान में चुनाव सुधारों पर बल दिया जा रहा है -

(1) ईवीएम के प्रयोग के पश्चात पारदर्शिता के लिए VVPAT का प्रयोग किया गया।

(2) प्रॉक्सी वोटिंग का सिद्धांत भी लाया गया तथा NRIs को वोटिंग का अधिकार दिया गया।

(3) विधि आयोग के द्वारा एक देश एक चुनाव पर विचार किया जा रहा है।

(4) सुप्रीम कोर्ट द्वारा (लिली थॉमस वाद) द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि व वित्तीय अनियमितता के आधार पर चुनाव लड़ने से रोका गया।

(5) सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावों में वीडियो रिकॉर्डिंग, ईवीएम में विश्वास बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों पर भी बल दिया है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(3) दो से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने को रोका गया है

चुनाव सुधार क्षेत्र

- प्रणाली
- प्रक्रिया
- संस्था
  - चुनाव आयोग
  - राजनीतिक दल
- लोगों की भागीदारी
- तकनीकी प्रयोग

① चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाता है अतः पर्याप्त संरक्षण उपायों के माध्यम से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता आवश्यक है

② चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी व बिना धन-बल वाली होनी चाहिए

③ हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम पर भी विचार किया जाना चाहिए।

④ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) में संशोधन कर दो सीटों से चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित करना।

⑤ चुनाव के अपराधीकरण पर रोकथाम।

⑥ EVM संबंधी अविश्वासों को दूर करना।

⑦ चुनावी वित्त पोषण की राज्य नीति का

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

समर्थन दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा किया गया।
(8) सुप्रीम कोर्ट द्वारा दलीय लोकतंत्र पर बल दिया है
(9) चुनाव में तकनीक का प्रयोग व डिजिटलीय नियंत्रण बढ़ाना।
निष्कर्षतः भविष्य के चुनाव सुधारों के माध्यम से लोकतंत्र को समावेशी व स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

12. भारत में मानव अधिकार आयोगों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं पर चर्चा करते हुए इन संस्थानों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 15

While discussing structural and practical limitations faced by Human Rights Commissions in India, suggest measures to strengthen these institutions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर भारत में भी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की गई।

मानवाधिकार आयोग में 1+4 सदस्य व चार आयोगों के सदस्यों को शामिल किया जाता है। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है तथा उसका कार्यकाल 5 या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, होता है।

सीमाएं

① मानव अधिकार आयोग केवल सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। इस कारण इनके कार्य प्रभावी नहीं हो पाते।

② मानव अधिकार आयोग सेना व न्यायपालिका के तहत मानव अधिकारों की जाँच नहीं कर पाते।

③ मानव अधिकार आयोग के पास अनुसंधान के लिए पर्याप्त वित्त व अवसंरचना का अभाव रहता है।

④ मानव अधिकार की क्षेत्रीय व प्रांतीय

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संरचना में समन्वय का अभाव होता है।
(5) अध्यक्ष का पद सेवानिवृत्ति के पश्चात पोस्टिंग बन गया है तथा कार्य करने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है।
(6) व्यवहार में कार्य व कार्यप्रणाली में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता है।

उपाय
(1) मानवाधिकार आयोगों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को ग्रहण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देना चाहिए।
(2) मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों को बाध्यकारी बनाया जाये।
(3) अनुसंधान एवं प्रभावपूर्ण कार्य के लिए वित्त एवं अवसंरचना की उपलब्धता।
(4) केन्द्र व राज्य मानवाधिकार आयोगों के मध्य समन्वय।
(5) कार्यप्रणाली के तहत तटस्थ प्रक्रिया का पालन तथा इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार भी आवश्यक है।
(6) मानवाधिकार आयोग को सैद्धांतिक व व्यवहार के स्तर पर स्वतंत्रता प्रदान की

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

जानी चाहिए

निष्कर्षतः मानवाधिकारों की रक्षा व भारतीय की विश्व मे इमेज बदलने के लिए आयोगों मे संरचनात्मक व व्यवहार आधारित परिवर्तनों की आवश्यकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. भारत के प्रधानमंत्री ने निरंतर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली का आह्वान किया है। इस संदर्भ में भारत जैसे देश में एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लाभों, चिंताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

The Prime Minister of India has repeatedly called for a system of 'One Nation, One Election'. In this context discuss the advantages, concerns and challenges in holding simultaneous elections in a country like India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य है कि लोकसभा व विभिन्न राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाया जाये। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका निरंतर समर्थन किया जाता रहा है।

आवश्यकता
- आदर्श आचार संहिता व विकास में बाधा
- प्रशासनिक धन का अपव्यय
- विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा
- कर्ता व सेना का उपयोग

लाभ:

① एक साथ चुनाव कराने से आदर्श आचार संहिता की अवधि में कमी आयेगी तथा नीति निर्माण व क्रियान्वयन में वर्तमान बाधाओं में कमी आयेगी।

② वर्तमान में देश निरंतर चुनावी मोड में रहता है इस कारण शैक्षणिक, सैन्य संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाता।

③ चुनाव के दौरान धर्म व जाति के प्रयोग के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कारण विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा मिलता है

(4) कालेधन व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

(5) एक साथ चुनाव के कारण संसाधनों का अपव्यय रुकेगा तथा पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

चिंता

(1) संघवाद प्रभावित हो सकता है क्योंकि केन्द्र के नियंत्रण में वृद्धि होगी।

(2) राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों के विलय से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पायेगा।

(3) विधानसभा विघटन के पश्चात मध्यावधि चुनाव भी एक प्रमुख चिंता है।

(4) एक साथ चुनाव किसी एक राज्य के परिणामों का दूसरे राज्यों पर प्रभाव को खत्म कर देगा।

चुनौतियाँ

(1) मध्यावधि चुनाव पर सरकार का अगला स्वरूप क्या होगा।

(2) चुनाव आयोग के अनुसार पर्याप्त संसाधनों का अभाव है।

(3) कई राज्यों का कार्यकाल कम व ज्यादा करना होगा। अतः राजनीतिक सहमति

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भी आवश्यक है।
(9) संविधान व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन भी आवश्यक है।
निष्कर्षतः विधि आयोग की सलाह के अनुसार एकसाथ चुनाव के बजाय दो बार में चुनाव, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से एक देश एक चुनाव को सफल बनाया जा सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

The launch of Ayushman Bharat scheme is a significant step towards universal health coverage in India. Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सभी के लिए स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कवरेज की सार्वभौमिकता के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की गई जो विश्व की सबसे बड़ी राज्य वित्तपोषित स्वास्थ्य योजना है

आयुष्मान भारत

→ हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर (1.50 लाख) (निवारक केन्द्र)

→ राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना
- ↳ 10 करोड़ परिवार
- ↳ 5 लाख प्रतिवर्ष/परिवार बीमा
- ↳ 40% जनसंख्या का समावेश

सार्वभौमिक स्वास्थ्य

① इस योजना के तहत प्राथमिक व द्वितीयक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है इस कारण स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुँच बढ़ेगी।

② इस योजना में अवसंरचना निर्माण, प्रभावी वित्त उपाय - जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

के माध्यम से नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की गई है।

③ ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्मियों की नियुक्ति, स्वास्थ्य शिक्षा तथा दवाओं की आपूर्ति के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य की बात की गई है।

④ इस योजना में पोर्टेबलिटी व अस्पतालों व निजी चिकित्सालय में इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध होने के कारण भी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी।

⑤ टेली मेडिसीन व तकनीकी प्रयोग के कारण यह योजना गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व स्वास्थ्य जीवन शैली पर बल देती है।

⑥ इस योजना में केंद्र-राज्य व विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय के माध्यम से प्रभावशीलता को बढ़ाया गया है।

बाधा

① अभी भी स्वास्थ्य व्यय 1.4% के लगभग बना हुआ है।

② अवसंरचना विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

③ केन्द्र व राज्यों के मध्य कई मुद्दों पर विवाद है

④ निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के कारण बीमा संस्थानों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

निष्कर्षतः इस योजना के समक्ष विद्यमान बाधाओं का समाधान कर सबके लिए ~~समग्र~~ स्वास्थ्य एव सतत विकास लक्ष्य नं. 3 की प्राप्ति की जा सकती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. सरकार की संसदीय प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के क्या कारण थे? (250 शब्द) 15

What are the merits and demerits of the parliamentary system of government? What were the reasons for adopting parliamentary system in India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

सरकार की संसदीय प्रणाली के तहत स्थायी, अस्थायी वास्तविक व नाममात्र की कार्यपालिका के साथ-साथ नियंत्रण व संतुलन की स्थिति विद्यमान रहती है।

गुण

① संसदीय प्रणाली समावेशी होती है। इस कारण शासन में सभी वर्गों का समावेश होता है।

② शक्तियों का विभाजन होने के कारण प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था रहती है।

③ वास्तविक कार्यपालिका प्रधान निरंकुश नहीं हो पाता क्योंकि विधायिका द्वारा निंदा प्रस्ताव व विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है।

④ संसदीय व्यवस्था अपने सरल रूप के कारण भी काफी प्रसिद्ध है।

⑤ संसदीय व्यवस्था के माध्यम से गठित लोकमंत्र को स्थायित्व प्राप्त होता है।

दोष ① व्यवहार में वास्तविक कार्यपालिका

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

प्रधान निरंकुश भी हो सकता है।
② शासन में अस्थायित्व भी विद्यमान रहता है।
③ दल बदल की प्रक्रिया विद्यमान रहती है।
④ शक्ति का पूर्णतः पृथक्करण न होने के कारण संघर्ष देखा जा सकता है।
⑤ पूर्ण बहुमत की स्थिति में विधायिका, कार्यपालिका को नियंत्रित करने के बजाय कार्यपालिका से नियंत्रित होती है।
⑥ वास्तविक व नाममात्र का प्रधान अलग अलग होने के कारण संसाधनों का अपव्यय होता है।

भारत द्वारा क्यों अपनाया गया?

① ब्रिटिश काल में यह की शासन पद्धति जारी थी। इस कारण व्यवस्था से निकटता के कारण इसको अपनाया गया।
② शक्ति पृथक्करण के कारण इस शासन प्रणाली में निरंकुशता पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है।
③ इस व्यवस्था में सभी वर्गों का प्रभावी प्रतिनिधित्व होता है।
④ साथ ही इस शासन प्रणाली में बहुमत के

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कारण स्थिरता भी थी।

निष्कर्षतः वर्तमान में संसदीय शासन प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर सुशासन प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

16. यद्यपि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच एक स्वस्थ संबंध सुशासन के लिये अत्यंत आवश्यक है, परंतु व्यवहार में दोनों के मध्य कई संघर्षपूर्ण क्षेत्र विद्यमान हैं। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Though a healthy relationship between the political executive and the permanent executive is critical for good governance but in practice there are multiple conflict areas in the relationship between the two. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा स्थायी व अस्थायी कार्यपालिका के मध्य स्वस्थ संबंध को सुशासन प्राप्ति का मार्ग माना।

सुशासन सरकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन व जनता की सहभागिता आधार शासन को माना जाता है।

स्वस्थ संबंध व सुशासन

① स्वस्थ संबंध से सत्यनिष्ठता को बढ़ावा मिलेगा तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा।

② स्वस्थ संबंध से संसाधनों का उचित व लक्षित उपयोग होगा तथा सर्वोदय का लक्ष्य प्राप्त होगा।

③ स्वस्थ संबंध के कारण परियोजनाओं में तीव्रता आयेगी तथा NPA व अन्य समस्याओं का समाधान होगा।

④ स्वस्थ संबंध के कारण पारदर्शिता व जवाबदेहिता के कारण सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

⑤ जनता की शासन प्रणाली में भागीदारी बढ़ायेगी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

तथा सुशासन सामने आयेगा।

(3) नोलन समिति के अनुसार सुशासन के लिए नेतृत्व की दूरदर्शिता व सहयोग आवश्यक है।

संघर्षपूर्ण क्षेत्र

(1) योजनाओं की असफलता व अनुचित क्रियान्वयन को लेकर ~~[illegible]~~ संघर्ष सामने आता है।

(2) कभी कभी स्थायी कार्यपालिका द्वारा तटस्थता के आधार पर कार्य नहीं किया जाता तथा इस कारण संघर्ष को बढ़ावा मिलता है।

(3) नेपोटिज्म व भ्रष्टाचार के कारण भी इन वर्गों के मध्य समन्वय के बजाय संघर्ष होता है।

(4) शक्तियों को लेकर भी संघर्ष की स्थिति विद्यमान रहती है।

(5) राजनीतिक दबाव के कारण स्थायी कार्यपालिका में यथास्थितिवाद को बढ़ावा मिलता है।

(6) ~~[illegible]~~ लालफीताशाही, नियमों व आदेशों का पालन व अपेक्षित समय में परिणाम प्राप्त न होने पर संघर्ष बढ़ता है।

इसके लिए शक्ति का उचित पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन की उचित

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

अवस्था तथा स्थायी कार्यपालिका में तटस्थता, अनामिता, निष्पक्षनिष्ठा (वेबर के गुण) का समावेश आवश्यक है।

निष्कर्षतः द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार शासन में नैतिकता व सुशासन के लिए कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्र के कई लाभ होने के बावजूद भारत में इसकी संभावनाओं का पूर्णतः उपयोग करना शेष है। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite having numerous advantages, the potential of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India. Analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र मुख्य न्यायपालिका के अन्य वैकल्पिक तंत्रों के माध्यम से न्याय प्रणाली के संचालन पर बल देता है।

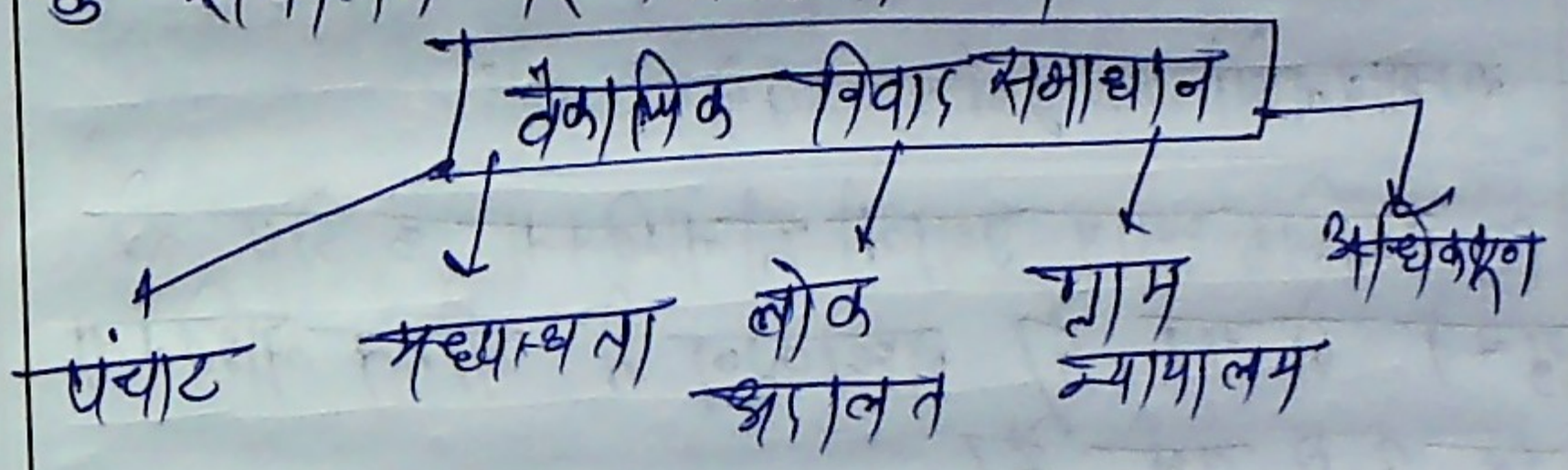

न्याय

① यह न्याय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता है तथा न्याय प्रणाली में तीव्रता का समावेश होगा।

② SC व HC पर लम्बित मुकदमों (4.5 करोड़) के भार को कम किया जा सकेगा।

③ भारत में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अनुबंध लागू करने में आसानी होगी (वार्षिक सर्वेक्षण 2017-18)

④ न्याय प्रणाली सस्ती होगी तथा तृणमूल स्तर पर उपलब्ध होगी।

⑤ वैकल्पिक न्याय समाधान के कारण भारत का

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

विकास मध्यस्थता केन्द्र के रूप में होगा तथा भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में बचत होगी।

(6) लोक अदालतों व ग्राम न्यायालयों के कारण कृषि व पारिवारिक विवादों का शीघ्र समाधान किया जा सकेगा।

सम्भावनाओं का पूर्णतः उपयोग नहीं

(1) वैकल्पिक न्याय प्रणाली भी लम्बितता के दोष से युक्त हो गई है, अधिकरण में औसत लम्बितता दर 3.8 वर्ष है।

(2) अवसंरचना व डिजिटलीकरण की कमी के कारण सम्भावनाओं का दोहन नहीं हुआ है।

(3) साथी मुख्य न्यायपालिका भी अपनी शक्तियों में कमी के संदेह के कारण इनको बढ़ावा नहीं दे पा रही है।

(4) ये शक्ति पृथक्करण (कार्यपालिका) के विरोधी होने के कारण भी प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

(5) जटिल कानूनों का पालन व उचित संख्या में कर्मियों की भी उपलब्धता नहीं है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

इसके लिए कार्यक्षेत्र का स्पष्ट निरूपण, ग्राम न्यायालयों का सशक्तिकरण, अवसंरचना विकास व डिजिटलीकरण पर बल दिया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः न्यायपालिका की गतिशीलता व आर्थिक विकास के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से A.D.R. की सम्भावना का दोहन किया जाना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

18. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, भारत के लिये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों को रद्द करने के संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

While mentioning the key provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019, discuss the possible implications of scrapping of special provisions under Article 370 for India. (250 words) 15

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर की अनु. 370 के तहत प्राप्त विशेष स्थिति को बदल दिया गया।

प्रावधान

① Art. 370 (1) के अलावा इसके अन्य भागों को समाप्त किया गया तो अनु. 35 (A) को भी रद्द किया गया।

② जम्मू एवं कश्मीर को विधानसभा वाले संघ शासित क्षेत्र में स्थायी समय के लिए बदल दिया गया।

③ लद्दाख क्षेत्र को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया।

④ जम्मू एवं कश्मीर के विकास के लिए पृथक विशिष्ट उपायों की घोषणा की गई।

⑤ इस अधिनियम में जम्मू एवं कश्मीर में बाहरी निवासियों के जमीन खरीदने व नागरिकता की विशेष स्थिति को परिवर्तित किया गया जो राष्ट्रीय एकता के लिए

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

प्रमुख कदम है

* अनु. 370 को रद्द करने के सम्भावित प्रभाव कुछ जटिलताओं के साथ साथ सकारात्मकता से युक्त है।

सकारात्मक

① भारत का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ तथा एकराष्ट्र की संकल्पना साकार हुई।

② आरटीआई तथा अन्य योजनाओं को इस क्षेत्र में लागू किया जा सकेगा।

③ महिलाओं की दृष्टि से भी यह सकारात्मक है क्योंकि अनु. 35(A) राज्य से बाहर विवाह पर सम्पत्ति अधिकार छिनने का प्रावधान करता है।

④ राज्य का विकास होगा क्योंकि उद्योगों व अन्य विकासात्मक गतिविधियों को समान्वित रूप से लागू किया जा सकेगा।

⑤ उग्रवाद व सीमा पार आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।

चुनौतियाँ ⊙ पाकिस्तान के कारण सम्बन्ध प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए।

⊙ मानवाधिकार हनन के मामले संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाये गये।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

③ राज्यों के लोगों में अविश्वास के कारण उग्रवाद और अधिक बढ़ सकता है।

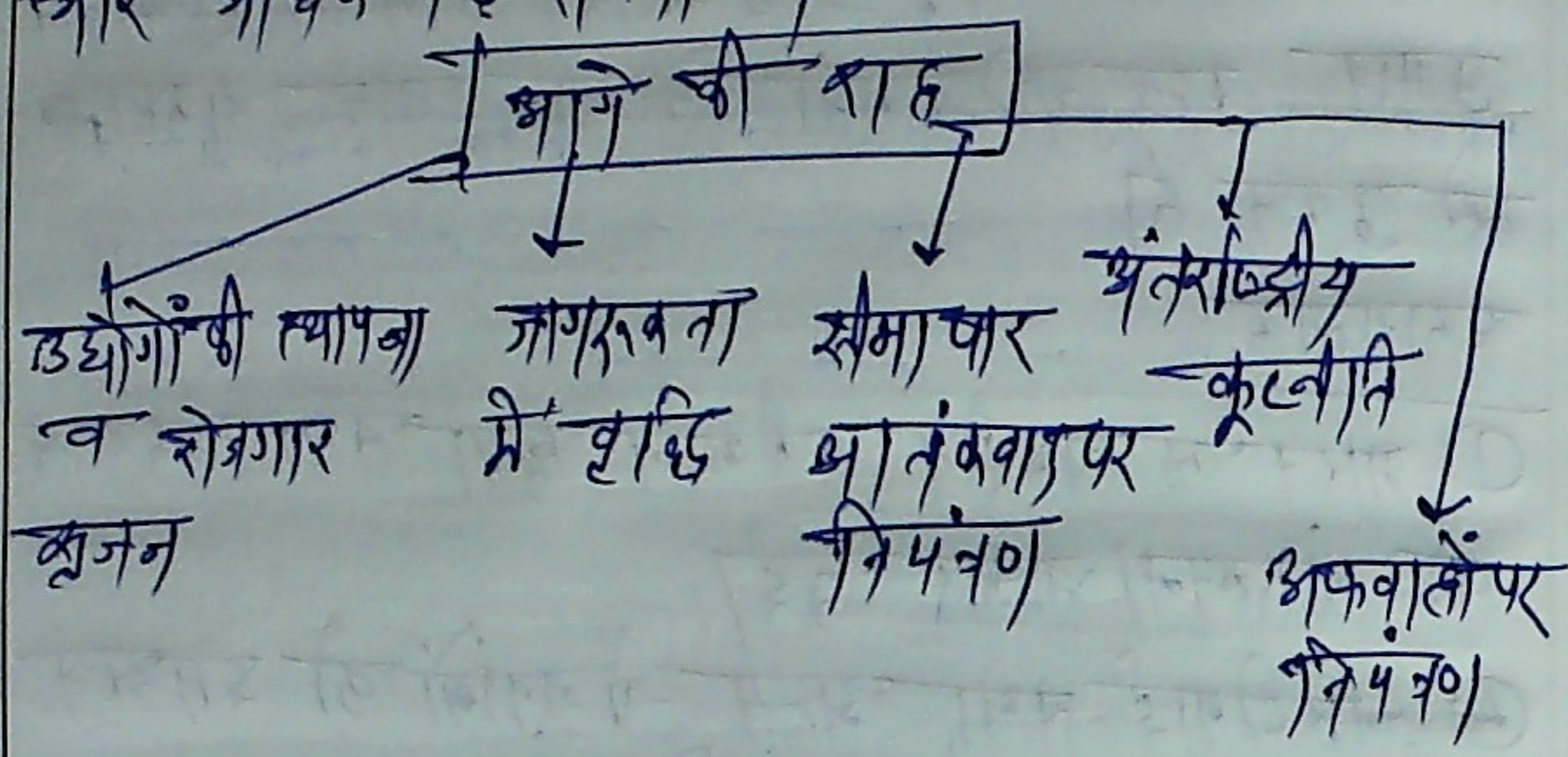

निष्कर्षतः अनु. 370 उपरान्त उत्पन्न हुई चुनौतियों का समाधान कर उग्रवाद व विकास से वंचना के कारण सामने आये अलगाववाद पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि मालदीव में एक नई सरकार की स्थापना के साथ ही भारत-मालदीव के बीच संबंधों में मतभेद समाप्त हो गया है? (250 शब्द) 15

With the inauguration of a new government in Maldives, do you agree that the rough patch in the relationship between India-Maldives is over? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता के साथ-साथ भारत-मालदीव संबंध में प्रभावित हुए तथा अब सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ संबंधों में स्थिरता आ रही है।

नई सरकार की स्थापना से प्रभाव

① भारत को राजमार्ग निर्माण व अन्य अवसंरचना निर्माण कार्यों में भागीदारी मिली है।
② भारत द्वारा मालदीव की राष्ट्रमण्डल सदस्यता का समर्थन किया है।
③ मालदीव द्वारा चीन के हाइसिंग तथा माले प्रोजेक्ट की समीक्षा की जा रही है।
④ मालदीव के द्वारा अब भारत के प्रति सकारात्मक सहयोग की बात की जा रही है।
⑤ अब मालदीव में भारतीय कम्पनियों तथा कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुँच बढ़ रही है तो भारत द्वारा मालदीव को सैन्य सहयोग दिया जा रहा है।

केवल सरकार परिवर्तन पर्याप्त नहीं

① मालदीव में चीन की उपस्थिति बढ़ती जा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

रही है तथा मालदीव चीन की आर्थिक कूटनीति में फँसता जा रहा है।

② ~~भारत की~~ मालदीव में भारत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण किया गया।

③ मालदीव के साथ भारत का व्यापार व सैन्य सहयोग सीमित है।

④ आगे भी मालदीव में राजनीतिक अस्थायित्व के कारण सम्बन्ध प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

⑤ समुद्री अर्थव्यवस्था व परियोजनाओं में देरी के कारण दोनों में मतभेद विद्यमान है।

⑥ ब्रिटेन, अमेरिका व अन्य देशों की मालदीव के समुद्री क्षेत्रों में स्थिति व विवाद।

उपाय

① भारत द्वारा मालदीव में परियोजनाओं को समय से पूरा करना।

② बिना हस्तक्षेप के लोकतंत्र के स्थापित के लिए लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

③ IORA, राष्ट्रमण्डल व सार्क संगठन के माध्यम से मालदीव के साथ सहयोग में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

दृष्टि

④ मालदीव के साथ व्यापार व वाणिज्यिक संबंधों में विविधता को लाना।

निष्कर्षतः मालदीव के साथ शांतिपूर्ण संबंधों व स्थायी हिंद महासागरीय राजनीति के लिए बहुआयामी प्रयत्नों की आवश्यकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

20. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) के सुधारों के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है? इन सुधारों को लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं? (250 शब्द) 15

What is India's perspective on the United Nations Security Council (UNSC) reforms? What are the reasons for delay in bringing out these reforms? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्वतंत्रता के पश्चात से ही प्रयास किया है तथा वर्तमान में भी इसके मार्ग में कई अवरोध है।

भारत द्वारा 15 सदस्यों (5 स्थायी + 10 अस्थायी) वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक व समावेशी बनाने के लिए G-4 के माध्यम से सुधारों का प्रारूप भी रखा है—

① वर्तमान परिषद अफ्रीका व एशिया का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

② वर्तमान वीटो की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण परिषद की कार्यप्रणाली बाधित रहती है।

③ भारत ने बिना वीटो के सदस्यता के विकल्प का भी समर्थन किया है।

④ भारत का मानना है कि भारत सदस्यता का प्रबल दावेदार है क्योंकि भारत एक लोकतंत्र व विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाली आर्थिक शक्ति है। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशनों में भी सहयोग किया जा रहा है।

③ भारत का मानना है कि वैश्विक अभिशासन व समावेशी विश्व के निर्माण के लिए संयुक्त

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

राष्ट्र की कार्यप्रणाली को भी गतिशील होना चाहिए।
③ वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य है अतः स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार आवश्यक है।

सुधारों में विलम्ब

① राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी प्रमुख बाधा है। P-5 देशों का मानना है कि नवीन देशों के आने से शक्ति संतुलन में परिवर्तन होगा।
② चीन भारत की उभरती शक्ति व पाकिस्तान के कारण भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन नहीं करता है।
③ स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि के लिए इसके संविधान (चार्टर) में संशोधन आवश्यक है।
④ कॉफी क्लब में पाकिस्तान व अन्य देशों द्वारा भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन नहीं किया जा रहा।
⑤ नये सदस्यों के लिए महासभा के 2/3 सदस्यों के साथ-साथ P-5 देशों की सहमति भी आवश्यक है। इस कारण भी भारत की सदस्यता बाधित है।

इसके लिए भारत को जापान,

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

ब्राजील के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए तथा P-5 देशों को विश्वास में लेना चाहिए। सदस्यता की व्यवस्था का प्रारूप भी भारत द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः स्थायी सदस्यता वर्तमान समय की आवश्यकता है तथा इसके लिए भारत द्वारा बहुआयामी प्रयास किये जाने चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation